FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0309 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/11/2025 15:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	477-A
6	भा दं सं 1860	193
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/10/2018 **Date To (दिनांक तक):** 07/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/11/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/11/2025 15:58:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLI

(b)**Address(पता):** GRAM PANCHAYAT KHANGTA, PANCHYAT SAMITI PIPAR SHAHAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S
(थाना का नाम):
District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): RAMNARAYAN CHOUDHARY
(b) Father's Name (पिता का नाम): PUSARAM

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1970
(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue
(जारी करने की तिथि):
Place of Issue
(जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KHANGTA, PIPAR SAHAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHANGTA, PIPAR SAHAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UMMED SINGH KHOJA		पिता:HARLALARAM	1. KHANGTA,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR
2	RAMPAL CHOUDHARY		पिता:DHAGALARAM	1. 13,THEEGALA NAGAR,RAWNIYANA,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR

3	RAMPARKASH		पिता:BHEEKARAM	1. GOAN SATHEEN,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
4	MAMTA		पति:SHOBHARAM	1. GOAN KHANGATA,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
5	DARIYA		पति:NATHARAM	1. KHANGTA,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR
6	HINDURAM		पिता:DHAGALARAM	1. GOAN LAWARI,GRAM PANCHYAT MALAWAS,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
7	SANTOSH		पति:HARLALARAM	1. GOAN KHANGATA,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
8	SATAR KHAN		पिता:MOHAMMAD KHAN	1. GOAN KHANGATA,PIPAR SAHAR,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		55,524.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 55,524.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री रामनारायण चैधरी पुत्र श्री पुसा राम जी जाति जाट उम्र 53 साल निवासी गांव खांगटा पंचायत समिति पीपाड़ शहर पुलिस थाना पीपाड़ शहर जोधपुर ने एक परिवाद ब्यूरो मुख्यालय पर इस आशय का प्रेषित किया कि ग्राम पंचायत खांगटा के सरपंच उम्मेदसिंह खोजा, ग्राम विकास अधिकारी रामपाल चोधरी, मैसर्स रामप्रकाश कन्शट्रेक्शन कम्पन्नी साथीन के प्रोपराईटर रामप्रकाश, तथाकथित श्रमिक सतार खां, ममता, दरिया, हिन्दूराम एवं तथाकथित श्रमिक सन्तोष द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर एकराय होकर धोखाधडी कर, लोकसेवक होने के नाते आपराधिक न्यासभंग कर पद का दुरूपयोग कर, कूटरचित बिल वाउचर तैयार कर, जीएसटी की चोरी कर, कार्य का नाम "

रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॅाकफिट निर्माण कार्य खांगटा" के नाम कुल 55,524/- रूपयों का गबन कर लिया है जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई निमार्ण कार्य नहीं करवाया गया। उक्त आरोप तकनीकी जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.5.2023 एव वसूली नोटिस से बखूबी प्रमाणित है। उक्त कार्य दिनांक 01.6.2018 को स्वीकृत किया गया। ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा एसएफसी ग्राम पंचायत योजना के तहत कार्य का नाम "रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॉकफिट निर्माण कार्य खांगटा" दिनांक 01.6.2018 को स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत खांगटा की केसबुक वाउचर संख्या 11 दिनांक 05.8.2019 का अवलोकन से पता चला कि उक्त कार्य के पखवाडा अवधि 1.3.2019 से 15.3.2019 का श्रमिकों को यूको बैंक खांगटा में उनके खाता में कुल 17,864 रुपये स्थानान्तरित किये गये है। उक्त कार्य के लिए उपयोग में लिये गये मस्टररोल संख्या 1731 का अवलोकन से पता चला कि श्रमिक सतार, ममता, दरिया, हिन्दूराम एंव सन्तोष का नाम पखवाडा अवधि 1.3.2019 से 15.3.2019 तक कार्य पर चला तथा सभी श्रमिकों की 11-11 दिन की फर्जी हाजरी लगी है। तकनीकी जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.5.2023 के अनुसार मौके पर किसी प्रकार का कोई कार्य नही हुआ है। इसका अर्थ है कि जब मौके पर किसी प्रकार का कार्य ही नहीं हुआ है तो श्रमिकों का मस्टररोल ही फर्जी है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.11.2023 को गबन की कुल राशि 55,524 रुपये राशि राजकोष में जमा करने के लिए सरपंच उम्मेदसिंह खोजा एंव ग्राम विकास अधिकारी रामपाल चोधरी को नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का नाम "रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॉकफिट निर्माण कार्य खांगटा" के नाम पर फर्जी मस्टररोल संख्या 1731 भरकर कुल 5 श्रमिकों का फर्जी नाम लिखकर फर्जी हाजरी लगाकर उनके बैंक खातों में राशि स्थानान्तरित की गयी। है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने चहेते श्रमिको का नाम फर्जी तरीके से लिखकर कार्य नही करने के बावजूद फर्जी हाजरी लगाकर कुल 17,864/- रुपये उनके बैक खातो मे स्थानान्तरित कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुचाया है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा उक्त कार्य मौके पर नही करवाने के बावजूद भी मैसर्स रामप्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी साथीन से 37,660 रुपये का फर्जी जरिये बिल वाउचर संख्या 1 दिनांक 08.10.2018 लेकर फर्म को कुल 37,660 रुपये का भुगतान कर दिया गया जो ग्राम पंचायत खांगटा की केशबुक वाउचर संख्या 33 दिनांक 8.10.2018 से प्रमाणित है। बिल वाउचर में सीमेन्ट, बजरी, पत्थर, गिट्टी आदि की आपूर्ति करना बताया गया जबकि तकनीकी कमेटी की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.5.2023 के अनुसार मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत खांगटा का सरपंच उम्मेदसिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी रामपाल चोधरी द्वारा फर्म के प्रोपराईटर के साथ सांठगांठ कर स्वयं को सदोष लाभ एवं सरकार को सदोष हानि पंहुचाने के लिए फर्जी बिल वाउचर लेकर भुगतान भी कर दिया गया जबकि सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्री उम्मेदसिह खोजा ग्राम पंचायत खांगटा, श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा, मैसर्स रामप्रकाश कन्शट्रेक्शन कम्पनी साथीन के प्रोपराईटर रामप्रकाश पुत्र भीकाराम निवासी गांव साथीन जिला जोधपुर, श्री सतार खां पुत्र मोहम्मद खां सिलावट निवासी गांव खांगटा जिला जोधपुर श्रमिक, श्रीमती ममता पत्नी शोभाराम निवासी गांव खांगटा जिला जोधपुर श्रमिक, श्रीमती दरिया पत्नी नाथाराम निवासी खांगटा जिला जोधपुर श्रमिक, श्री हिन्दूराम पुत्र श्री ढगलाराम निवासी गांव खांगटा जिला जोधपुर श्रमिक एवं श्रीमती सन्तोष/हरलालराम निवासी गांव खांगटा जिला जोधपुर श्रमिक द्वारा आपसी मिलीभगत कर, षडयंत्र रचकर एकराय होकर धोखाधडी कर, पद का दुरूपयोग कर, कूटरचित बिल वाउचर तैयार कर, कार्य का नाम - रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॉकफिट निर्माण कार्य खांगटा" के नाम कुल 55,524/- रूपयों का नियम विरुद्ध फर्म एवं श्रमिको को भुगतान कर राज्य सरकार को सदोष हानि तथा स्वयं को सदोष लाभ पहुचाना प्रमाणित पाया गया हैं। परिवादी श्री रामनारायण चोधरी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1266-70 दिनांक 07.11.2024 द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 52/2024 दिनांक 07.11.2024 दर्ज होकर अग्रिम जांच हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को प्राप्त होने पर जांच शुरु की गई। दौरान जांच मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रा.जां. मे वर्णित उक्त विकास कार्य से संबंधित मूल पत्रावली, ग्राम पंचायत खांगटा की केश बुक वाउचर संख्या 11 दिनांक 05.08.2019 की प्रमाणित प्रति, मस्टरोल संख्या 1731 (पखवाडा दिनांक 01.03.2019 से 15.03.2019) की प्रमाणित प्रति, विभागीय जांच कमेटी गठन आदेश दिनांक 08.09.2022 की प्रमाणित प्रति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 11728 दिनांक 08.09.2022 की प्रमाणित प्रति, कार्यालय पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 12.09.2022 की प्रमाणित प्रति, श्रीमान लोकायुक्त राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 10603 दिनांक 29.08.2022 की प्रमाणित प्रति, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 2011 दिनांक 12.06.2023 की प्रमाणित प्रति, तकनीकी टीम द्वारा की गई कार्य की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.05.2023 की प्रमाणित प्रति, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 6551 दिनांक 08.09.2023 की प्रमाणित प्रति, श्रीमान लोकायुक्त राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 16546 दिनांक 23.11.2023 की प्रमाणित प्रति, कार्यालय पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर के नोटिश क्रमांक 7598 दिनांक 16.11.2023 की प्रमाणित प्रति, कार्यालय पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर के नोटिश क्रमांक 7601 दिनांक 16.11.2023 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त विकास कार्य मे बिना कार्य करवाये तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा किये गये भुगतान से संबंधित वसूली से

संबंधित सूचना पंचायत समिति पीपाड शहर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने जांच परिवादी श्री रामनारायण चोधरी, श्री जगदीश प्रसाद उदावत, विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा, तकनीकी जांच टीम के सदस्य श्री नारायण मोसलपुरी सहायक अभियंता एवं श्री जयशंकर सहायक लेखाधिकारी के बयान लेकर शामिल पत्रावली किये गये, तथा संदिग्ध आरोपी उम्मेदसिह खोजा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा, फर्म मैसर्स रामप्रकाश कन्ट्रक्शन कम्पनी के प्रोपराईटर श्री रामप्रकाश से स्पष्टीकरण तथा श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रमिक श्री सतारखा पुत्र श्री मोहम्मदखां निवासी खांगटा का अभ्यावेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्राथमिक जांच मे संदिग्ध आरोपी श्रमिक श्रीमती ममता/शोभाराम, दरिया/नाथाराम, हिन्दूराम/ढगलाराम एवं संतोष/हरलालराम को अपना स्पष्टीकरण /अभ्यावेदन पेश करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2552 दिनांक 13.11.2024 जारी कर दिनांक 15.11.2024 को ग्राम पंचायत खांगटा मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु दिनांक 15.11.2024 को उक्त मे से कोई भी आरोपीगण ग्राम पंचायत खांगटा पर उपस्थित नही मिले जिस पर मन जांच अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद उदावत ग्राम पंचायत खांगटा को उक्त श्रमिको को दिनांक 27.11.2024 को ग्राम पंचायत मे उपस्थित होने बाबत सूचित करने के निदेश प्रदान किये गये। दिनांक 27.11.2024 को पुनः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उक्त श्रमिको से जांच करने हेतु ग्राम पंचायत खांगटा पहुचां परन्तु उक्त श्रमिक जांच हेतु उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया हैं। प्राथमिक जांच के सत्यापन के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खांगटा मे एस.एफसी. योजना के तहत "रतनाराम के घर के पास शॅाकफिट निर्माण कार्य" से संबंधित पंचायत समिति पीपाड शहर से प्राप्त किये गये प्रमाणित रिकॅार्ड से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 91 दिनांक 1.06.2018, वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 107 दिनांक 04.06.2018 तत्कालीन सरपंच श्री उम्मेदसिह खोजा ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा अपने हस्ताक्षरो से जारी करना पाया गया।

2- उक्त विकास कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 625 दिनांक 01.06.2018 राशि रुपये 0.70 लाख रुपये श्री राजेन्द्र सेंवर तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति पीपाड शहर द्वारा अपने हस्ताक्षरो से जारी की गई।

3- जांच से पाया गया कि श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु पंचायत समिति पीपाड शहर से मस्टरोल संख्या 1731 समिति के डिस्पेच क्रमांक 611 दिनांक 04.06.2018 द्वारा जारी करवाया गया।

4- ग्राम पंचायत खांगटा उक्त तथाकथित विकास कार्य हेतु उक्त मस्टरोल संख्या 1731 मे कुल 05 श्रमिको क्रमशः 1- सतार/मोहम्मद, 2- ममता/शोभाराम, 3- दरिया नाथाराम, 4- हिन्दूराम/ढगलाराम 0 5- सन्तोष/हरलालराम की 11-11 दिन की हाजरी भरी जाकर प्रत्येक श्रमिक के सामने के कॅालम मे श्रमिक पेटे राशि अंकित की गई हैं, उक्त मस्टरोल मे उक्त पांचो श्रमिको के हस्ताक्षर के कॅालम मे हस्ताक्षर होना नही पाये गये, साथ ही उक्त मस्टरोल पर सरपंच/ग्रामविकास अधिकारी कनिष्ठ अभियंता इत्यादि के भी हस्ताक्षर होना नही पाये गये। उक्त मस्टरोल मे श्रमिको के नाम के सामने अंकित राशि का भुगतान जरिये वाउचर संख्या 11 दिनांक 5.08.2019 से कुल 17,864 रुपये का भुगतान श्री उम्मेदसिह तत्कालीन सरपंच एवं श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा के हस्ताक्षरो से किया गया।

5- उक्त विकास कार्य हेतु फर्म मैसर्स रामप्रकाश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी साथीन के प्रोपराईटर श्री रामप्रकाश द्वारा सामग्री पेटे बिल संख्या 01 दिनांक 08.10.2018 राशि रुपये 37,660/- का ग्राम पंचायत खांगटा मे पेश किया गया जिस पर ग्राम पंचायत खांगटा के तत्कालीन सरपंच श्री उम्मेदसिह खोजा एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री रामपाल चोधरी द्वारा उक्त फर्म को जरिये वाउचर संख्या 33 दिनांक 08.10.2018 द्वारा राशि रुपये 37,660/- रुपये का भुगतान करना पाया गया।

6- प्रा. जांच से ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा उक्त विकास कार्य का कार्यदिश फर्म मै0 रामप्रकाश कन्सट्रक्शन कम्पनी साथीन को दिये जाने संबंधी आदेश जारी करना नही पाया गया।

7- ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा करवाये गये उक्त तथाकथित विकास कार्य का "कार्य पूर्णता प्रमाण" पत्र जारी होना नही पाया गया तथा ना ही सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कार्य का मुल्यांकन किया किया जाना पाया गया हैं।

8- प्रा.जा. के दौरान उक्त विकास कार्य की तकनीकी टीम द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के अवलोकन एवं तकनीकी टीम के सदस्य श्री नारायण मोसलपुरी सहायक अभियंता पंचायत समिति ओसिया एवं श्री जयशंकर सहायक लेखाधिकारी प्रथम पंचायत समिति लोहावट के लिये गये बयानो से " रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॅाकफिट निर्माण कार्य मौका पर होना नही पाया गया।

9- ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा " रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॅाकफिट निर्माण करवाये बिना ही उक्त 05 श्रमिको को किये गये भुगतान राशि 17,864/- रुपये तथा फर्म मैसर्स रामप्रकाश कन्ट्रक्शन कम्पनी साथी के प्रोपराईटर श्री रामप्रकाश को सामग्री पेटे किये गये भुगतान राशि 37,660/- रुपये का इन्द्राज ग्राम पंचायत खांगटा की केश बुक मे किया जाकर केशबुक पर श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी एवं श्री उम्मेदसिह खोजा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा के हस्ताक्षर होना पाये गये।

10- जांच के दौरान पंचायत समिति पीपाड शहर से प्राप्त किये गये रिकॅार्ड /सूचना के विस्तृत अवलोकन से पाया गया कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 7056-60 दिनांक 25.01.2023 द्वारा गठित कमेटी द्वारा जांच करने पर जांच रिपोर्ट मे ग्राम पंचायत खांगटा मे "रतनाराम के घर के पास शॅाकफिट निर्माण कार्य" करवाये बिना ही व्यय राशि 55,524/- रुपये वसूली प्रस्तावित करना पाई गई।
11- जांच के दौरान प्राप्त रिकॅार्ड के अवलोकन से पाया गया कि श्री उम्मेदसिह तत्कालीन सरपंच व श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 225 का उल्लघ्ंन कर उक्त विकास कार्य करवाये बिना भी विकास कार्य का भुगतान किये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड शहर द्वारा श्री उम्मेदसिह खोजा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा एवं श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा किये गये भुगतान 55,524/- रुपये की वसूली हेतु श्री उम्मेदसिह खोजा को वसूली नोटिस क्रमांक 70601 दिनांक 16.11.2023 , 3363 दिनांक 15.07.2024 व वसूली नोटिस क्रमांक 3467 दिनांक 19.07.2024 जारी कर भुगतान की गई उक्त राशि मे से 27,762/-' रुपये पुनः राजकोष मे करवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को वसूली नोटिस क्रमांक 7598 दिनांक 16.11.2023, 3366 दिनांक 15.07.2024 व नोटिस क्रमांक 3470 दिनांक 19.07.2024 जारी कर भुगतान की गई उक्त राशि मे से 27,762/-' रुपये (27,76227,762 कुल 55,524/-) पुनः राजकोष मे करवाने हेतु निर्देशित करना पाया गया।
12- जांच के दौरान प्राप्त रिकॅार्ड /सूचना के अवलोकन से श्री उम्मेदसिह खोजा एवं श्री रामपाल चोधरी को विकास अधिकारी द्वारा व्यय राशि जमा करवाने बाबत उक्त नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उक्त दोनो आरोपीगण द्वारा बिना कार्य करवाये गये व्यय की गई उक्त राशि पुनः राजकोष मे जमा नही करवाये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड शहर द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण के विरुद्व विभागीय कार्यवाही करते हुए श्री रामपाल चोधरी को 17 सीसीए का नोटिस एवं श्री उम्मेदसिह खोजा के विरुद्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत आरोप पत्र जारी किया जाना पाया गया हैं। प्राथमिक जांच के सम्पूर्ण सत्यापन के दौरान लिये गये गवाहान,के बयान, आरोपीगण के अभ्यावेदन तथा प्राप्त किये गये दस्तावेजात/सूचना के अवलोकन से पाया गया कि श्री उम्मेदसिह खोजा तत्कालीन सरपंच व श्री रामपाल चोधरी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा अपने- अपने पदो का दुरुपयोग करते हुए एस.एफसी योजना वर्ष 2018-19 के तहत "रतनाराम के घर के पास शॅाकफिट निर्माण कार्य" की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर, फर्म मै0 रामप्रकाश कन्ट्रक्शन कम्पनी के प्रोपराईटर श्री रामप्रकाश, एवं उक्त श्रमिको से मिलीभगत कर, आपराधिक षडयंत्र रचकर, कूटरचित बिल तैयार कर, धोखाधडी कर, एकराय होकर मस्टरोल मे उक्त 05 श्रमिको की 11-11 दिन की हाजरी भरकर, तथा उक्त कार्य हेतु बिना सामग्री सप्लाई के फर्म से वाउचर प्राप्त कर, फर्जी दस्तावेजात तैयार कर मौके पर उक्त विकास कार्य करवाये बिना तथा कार्य का मुल्यांकन करवाये बिना, कार्य का "कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र" जारी किये बिना व उक्त फर्म को कार्य का कार्यादेश जारी किये बिना ही उक्त श्रमिको के खातों मे तथा फर्म मैसर्स रामप्रकाश कन्ट्रक्शन कम्पनी साथीन के प्रोपराईटर श्री रामप्रकाश के खाते मे उक्त कार्य के पेटे कुल 55,524/- रुपये का भुगतान कर राज्य सरकार को सदोष हानि एवं स्वंय को सदोष लाभ प्राप्त करना बखुबी प्रमाणित पाया गया हैं।इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से पाया गया कि रतनाराम प्रजापत के घर के पास शॅाकफिट निर्माण कार्य करवाये बिना ही 05 श्रमिको को किये गये भुगतान राशि 17,864/- रुपये तथा फर्म मैसर्स रामप्रकाश कन्ट्रक्शन कम्पनी साथी के प्रोपराईटर श्री रामप्रकाश को सामग्री पेटे किये गये भुगतान राशि 37,660/- रुपये इस प्रकार कुल 55,524/- रुपये का भुगतान कर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1-श्री उम्मेदसिह खोजा पुत्र श्री हरलालराम उम्र 38 साल निवासी खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाडशहर जिला जोधपुर 2-श्री रामपाल चोधरी पुत्र श्री ढगलाराम उम्र 53 साल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 13 ठीगला नगर रावनियाना तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाडशहर जिला जोधपुर 3-मै. रामप्रकाश कन्शट्रेक्शन कम्पनी साथीन के प्रो0 रामप्रकाश पुत्र भीकाराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी गांव साथीन तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर, 4-श्री सतार खां पुत्र मोहम्मद खां उम्र 52 साल जाति सिलावट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रमिक, 5-श्रीमती ममता पत्नी शोभाराम उम्र 40 साल जाति देवासी निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रमिक, 6-श्रीमती दरिया पत्नी नाथाराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रमिक, 7-श्री हिन्दूराम पुत्र श्री ढगलाराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी गांव लवारी ग्राम पंचायत मालावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रमिक 8- श्रीमती सन्तोष/हरलालराम उम्र 46 साल जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रमिक के विरुद्व अन्तर्गत धारा 7(ग), 13(1)(क), सपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 409, 477ए, 193, व 120बी. भा.द.सं. का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट

श्री पारस सोनी, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7(ग), 13(1)(क), सपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 409, 477ए, 193, व 120-बी. भारतीय दण्ड संहिता में आरोपीगण 1-श्री उम्मेदसिह खोजा पुत्र श्री हरलालराम उम्र 38 साल निवासी खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाडशहर जिला जोधपुर 2-श्री रामपाल चोधरी पुत्र श्री ढगलाराम उम्र 53 साल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 13 ठीगला नगर रावनियाना तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाडशहर जिला जोधपुर 3-मै. रामप्रकाश कन्शट्रेक्शन कम्पनी साथीन के प्रो0 रामप्रकाश पुत्र भीकाराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी गांव साथीन तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर 4-श्री सतार खां पुत्र मोहम्मद खां उम्र 52 साल जाति सिलावट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर लाभार्थी, 5-श्रीमती ममता पत्नी शोभाराम उम्र 40 साल जाति देवासी निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर लाभार्थी, 6-श्रीमती दरिया पत्नी नाथाराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर श्रमिक, 7-श्री हिन्दूराम पुत्र श्री ढगलाराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी गांव लवारी ग्राम पंचायत मालावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर लाभार्थी 8- श्रीमती सन्तोष/हरलालराम उम्र 46 साल जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर लाभार्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधन राम, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इंन्टे. जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 390 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1749-53 दिनांक 20.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2-आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जोधपुर 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक जोधपुर ग्रामीण 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवाद्, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (पी.ई. 52/24) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh
Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 2 /2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				
2	Male	1972				
3	Male	1993				
4	Female	1985				
5	Female	1980				
6	Male	1977				
7	Female	1979				
8	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)